न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 139/2011

सायलान :-

1. रामलाल पुत्र नारायणलाल
2. मनमोहन पुत्र नारायणलाल
3. जोरावर पुत्र बद्रीलाल
4. पुखराज पुत्र बद्रीलाल
5. रूपचंद पुत्र भेरुलाल
6. परमेश्वर पुत्र केसुदास
7. नाथूराम पुत्र सुमेरजी
8. मदनलाल पुत्र भूराराम
9. होशियार पुत्र देशराज

सभी जातियान-साद
निवासीगण-लितरिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम गै0सा0 :-

1. मारवाड़ माईन्स एण्ड मिनरल प्रोपराईटर गयारसीदेवी पत्नि माहाराम, जाति-प्रजापत निवासी-नयागांव, तहसील-जैतारण
2. आशीर्वाद माईन्स एण्ड मिनरल प्रोपराईटर कैलाशचन्द पुत्र कंवरीलाल, जाति-साद निवासी-लितरीया तहसील-जैतारण
3. सतनाम माईन्स एण्ड मिनरल प्रोपराईटर उर्मिला पत्नि तुलसीराम जाति-साद निवासी-लितरीया
4. शुभम् माईन्स एण्ड मिनरल प्रोपराईटर मन्जुलता पत्नि अनोप सिंह जाति-चारण निवासी-खराड़ी
5. श्री अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल प्रोपराईटर तुलसीराम पुत्र कंवरीलाल जाति-साद निवासी-लितरीया, तहसील-जैतारण
6. सहायक अभियन्ता खनिज एवं भू-विज्ञान सोजतसिटी, तहसील सोजतसिटी (जिला-पाली)
7. निदेशक खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग हिरण मगरी, उदयपुर
8. दिलमोहन पुत्र नारायणलाल
9. कंवरीलाल पुत्र रामचन्द्र
10. भींयाराम पुत्र बद्रीलाल

जति-साद निवासी-लितरिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.23.08.2011

उपस्थितः- 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 01/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में सायलान व गैर सायल संख्या आठ से दस की खातेदारी एवं कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्त की शामलाती पैतृक पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 238, 239, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280 एवं 283 कुल किता-21 कुल रकबा 176-11 बीघा कसम चा0सो0, बा0प्र0, चा0दो0, चा0चा0 एवं गै0मु0बेरा की आई हुई हैं। उपरोक्त भूमि पर सायलान व अन्य सह काश्तकार व गैरसायल संख्या आठ से दस का मौके पर वक्त सैटलमेन्ट से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। मौके पर उक्त भूमि का अपने अपने हिस्से माफिक बंटवाडा किया हुआ हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में मुतनाजा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया हुआ नही हैं। वर्तमान में उक्त भूमि में फसल बोई हुई हैं। उक्त मुतनाजा भूमि की जमाबन्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावें। गैरसायला संख्या एक से पॉच ने बाले-बाले मुतनाजा भूमि में चाईना क्ले लीज कराने बाबत गैरसायल संख्या 6 के कार्यालय में आवेदन अलग-अलग तारीखों में जमा करवाये। जबकि गैरसायल संख्या एक से पॉच का मुतनाजा भूमि में कोई हक हिस्सा, अधिकार नही है गैर सायल संख्या एक से पॉच ने ग्राम-लितरिया में आकार सायलान को ऐलानिया कहा कि इस वर्ष उक्त मुतनाजा भूमि में काश्त कर लो अगले वर्ष मुतनाजा भूमि में चाईना क्ले खुदाई का काम करेंगे। क्योंकी हमने मुतनाजा भूमि बाबत काश्तकारों से सहमति-पत्र लेकर माईनिंग विभाग में लीज के लिए आवेदन जमा करवा दिये है उक्त आवेदन गैरसायल संख्या-6 ने आवेदन स्वीकृति के लिए गैरसायल संख्या-7 निदेशक खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर के कार्यालय में भिजवा दिया हैं, तब सायलान को गैरसायलन को गैरसायल संख्या एक से पॉच द्वारा लीज करवाने बाबत ज्ञात हुआ। सायलान को गैरसायलान द्वारा लीज कराने का ज्ञान होने पर सायलान ने एक रजिस्टर्ड नोटिस तीन-चार माह पूर्व गैरसायलान संख्या 6 व 7 को दिया, जिसकी प्राप्ति रसीद भी सायलान के पास है फिर बाद में सायलान ने विधिक नोटिस 4-5 माह पूर्व अपने वकील के मार्फत गैरसायल संख्या-6 को दिया। लेकिन गैरसायल संख्या-6 ने कोई सुनवाई नही की, तब सायलान स्वयं गैरसायल संख्या-6 के कार्यालय में जाकर कहा कि उक्त मुतनाजा भूमि हमारी खातेदारी की है जिस पर गैरसायल संख्या एक से पॉच का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है और न सायलान ने माईन्स के लिये लीज बाबत सहमति-पत्र दिया। गैरसायल संख्या एक से पॉच ने सायलान व सह काश्तकार के सहमति-पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर व अगूंठा निशान लगाकर गैरसायल संख्या-6 के कार्यालय में पेश किये है, जो गलत हैं। फर्जी सहमति-पत्र के आधार पर यदि मुतनाजा भूमि पर चाईना क्ले निकालने के लिये माईन्स विभाग से गैरसायल संख्या एक से पॉच मौके पर से जबरदस्ती सायलान को बेदखल कर देंगे तथा सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करेंगे, जिससे सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेंगे, जिससे विविध प्रकार की पेचेदगियां बढेगी। मौके पर छोटे छोटे जमीन के टुकड़े किये हुए है, जिस पर खनन नही किया जा सकता हैं। सायलान के हिस्से की भूमि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जैतारण में रहन रखी हुई है। गैरसायल संख्या-8 से 10 गैरसायल संख्या -एक से पॉच के साथ मिलकर बाले बाले मुतनाजा जमीन में से बिना बंटवाडा किये ही बैचान, बख्शीश, रहन वसीयत आदि करना चाहते हैं, जो गलत है। जिसको जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना जरूरी है गैरसायल संख्या एक से पॉच द्वारा बाले बाले मुतनाजा भूमि पर माईस कराने बाबत् सायलान के फर्जी हस्ताक्षर व अगुष्ठा करके सहमति-पत्र तैयार कर गेर सायल संख्या-6 के कार्यालय में पेश किये है जिसके आधर पर गैर सायल संख्या-6 ने गैरसायल संख्या-7 निदेशक खनिज व भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के कार्यालय में आवेदन पत्र भेजने का ऐलानिया करते है। इसलिए सायलान की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि पर चाईना क्ले निकालने की स्वीकृती नही दी जा सकती हैं। जिसको जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें। सायलान ने गैरसायल संख्या-6 के कार्यालय में जिन-जिन व्यक्तियों ने लीज आंवटन बाबत आवेदन किया, उसकी लिस्ट प्राप्त की जसमें गैरसायल संख्या-एक से पॉच का नाम अंकित हैं। इसलिए गैरसायल संख्या एक से पॉच को पक्षकार बनाया गया है। उक्त मुतनाजा भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टिया केस सायलान के पक्ष में बहुत ही मजबूत है व मौके पर वर्तमान में सायलान का कब्जा काश्त होने व मौके पर फसल खडी होने से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान नाजायज रूप से सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैर सायलान नाजायज रूप से सायलान के फर्जी हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान कर माईनिंग विभाग में सहमति-पत्र पेश कर मुतनाजा भूमि की लीज देंगे, तो सायलान अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। सायलान उक्त मुतनाजा भूमि में काश्त नही कर सकेंगे। सायलान के परिवार के भूखें मरने की नौबत आ जायेगी, सायलान को असीम नुक्शान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायलान किसी भी सूरत में अदा नही कर सकेगें। इसलिए गैरसायलान को सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने व उक्त मुतनाजा भूमि का बैचान करने व उक्त भूमि को लीज करवाने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। वकील गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23/08/2011 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। अतः उक्त आदेश को वाद निर्णिय तक पुख्ता किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में सायलान व गैर सायल संख्या आठ से दस की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की शामलाती पैतृक पुश्तैनी जमीन खसरा नम्बर 238, 239, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280 एवं 283 कुल किता-21 कुल रकबा 176-11 बीघा किसम चा0सो0, बा0प्र0, चा0दो0, चा0चा0 एवं गै0मु0बेरा की भूमि को न्यायालय हाजा के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 23/08/2011 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 01/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner